राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3)विभाग

क्रमांक– प.1(2)साप्र / 3 / 07 जयपुर,दिनांक 29-1-2008

समस्त संभागीय आयुक्त /
समस्त जिला कलेक्टर /
समस्त विभागाध्यक्ष ।

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 13.2.07 व 8.5.07 द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद भी कतिपय विभागाध्यक्ष / जिला कलेक्टरों द्वारा रिक्त पदों सूचना की सूचना (मंत्रालयिक अधिनस्थ / तकनीकी एवं अन्य पदों की) इस विभाग को नहीं भिजवाई जा रही है राज्य सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है रिक्त पदों की सूचना प्रतिमाह निर्धारित तिथि एवं प्रपत्र अनुसार प्राप्त नहीं होने से रिक्तियों जानकारी नहीं हो पाती है। रिक्त पदों की सूचना प्राप्त न होने से जहां अधिशेष कर्मचारियों का समावेशन यथासमय नहीं हो पाता है वहीं इन कर्मचारियों को वेतन भत्तो का भुगतान करना पडता है जिससे राजकोष पर अनावश्यक वित्तीय भार पडता है। महालेखाकार ने इसको लेकर एतराज किया है।

अतः आप से अनुरोध है कि रिक्त पदों की नवीनतम सूचना इकजाई रूप में इस विभाग को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित कराने की कृपया व्यवस्था करावें।

रिक्त पद हेतु प्रोफार्मा–

क्र.सं	पद का नाम	पदों की कुल स्ट्रेन्थ	भरे गये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5

यह किस संवर्ग का है।	पद हेतु निर्धारित तकनीकी एवं शैक्षणिक योग्यता	पद की श्रेणी सामान्य / अनु. जा. / अनु.ज.जा. / पिछला वर्ग / विकलांग	विशेष विवरण यदि कोई हो	
6	7	8	9	

लगातार......

यदि विभाग में कोई पद रिक्त नहीं है तो सूचना शून्य प्रेषित कर दी जाये। इस विभाग को रिक्त पदों की सूचना प्रेषित करने के बाद रिक्तियां कम या ज्यादा हो जाती है अथवा पद को कतिपय कारणों से नहीं भरा जाना है अथवा कोई पद अबयेंस में आ जाता है तो उसकी सूचना तत्काल इस विभाग को दी जायें ताकि अधिशेष कार्मिकों का आवंटन उसी परिपेक्ष में किया जाये अनावश्यक लोटाफेरी न हो। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(तपेश पवार)
शासन सचिव

प्रतिलिपि

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण को प्रेषित कर लेख है कि कृपया अपने अधीनस्थ आने वाले सभी विभागाध्यक्षों को यह निर्देशित करायें कि वर्तमान में रिक्त चल रहे पदों की सूचना इस विभाग को प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रेषित कर दी जाये,। रिक्त पदों की सूचना प्रेषित नहीं किये जाने की स्थिति में इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।और नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग।

उप शासन सचिव